

आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

मुद्रांक वाद संख्या – 129 / 2023

गायत्री देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14- फार्म संख्या-563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
06.06.2023	<p>प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के वाद सं०-47/2022-23 में दिनांक 17.02.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। जिस आदेश से सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने अपीलकर्ता के केवाला दिनांक 13.04.2021 में मुद्रांक कमी पाते हुए कमी मुद्रांक की राशि 1,42,570/- एवं उस पर जुर्माना की राशि 1,42,527/- अर्थात् 15,67,797/- (पन्द्रह लाख सड़सठ हजार सात सौ संतानवे रूपये) जमा करने का आदेश दिया है।</p> <p>उक्त के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनके अभ्यावेदन पर लिखित बहस का अवलोकन किया एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। Bihar Stamp & Court Fees Manual की धारा 47 A (vi) के तहत अपीलकर्ता से Deficit amount का 50% जमा कराते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई।</p> <p>वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 24.03.2021 को रामाशंकर महतो से खरीदा। दस्तावेज</p>	

निबंधन के समय निबंधन कार्यालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं कि गई। वाद में एक शिकायतकर्ता श्री मोहन प्रसाद श्रीवास्तव, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी के शिकायत पर प्रश्नगत भूमि पर जाँच करायी गयी एवं वाद प्रारंभ किया गया। जाँचकर्ता द्वारा जो जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है वह टेबूल प्रतिवेदन है। क्योंकि वादी को सूचना दिये बगैर जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया एवं निम्न न्यायालय ने भी उसी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि प्रश्नगत केवाला के खेसरा सं०-1626 वार्ड सं०-24, मोहल्ला-नहर चौक जो सोना टॉकीज से डॉ० अवधेश गिरी के क्लिनीक से जुड़ा है एवं एन०एच० के किनारे है परन्तु प्रश्नगत भूमि एन०एच० से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रश्नगत भूमि आवासीय श्रेणी की है जो शाखा सड़क से जुड़ा हुआ है। खेसरा सं०-1626 का सभी भाग एक श्रेणी का नहीं है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि प्रश्नगत खेसरा में वादी के पति ने पूर्व में एक केवाला कराया था जो एन०एच० से जुड़ा हुआ है जिसका उन्होंने व्यवसायिक श्रेणी में मुद्रांक शुल्क भी दिया है परन्तु प्रश्नगत खेसरा ही वादी के नाम एक दूसरा केवाला हुआ है जो आवासीय श्रेणी की है फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाते हुए आदेश पारित किया गया है जो गलत है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत खेसरा की भूमि एन०एच० से सटा है एवं व्यवसायिक श्रेणी का है। राजस्व चोरी की नियत से वादी के पति ने प्रश्नगत खेसरा का कुछ भाग व्यवसायिक श्रेणी में निबंधित करवाया एवं उसके एक सप्ताह बाद ही उसी खेसरा का पिछे से आवासीय श्रेणी में वादी ने निबंधन कराया है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश उचित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम वादी के पति श्री आत्माराम प्रसाद ने श्री रामाशंकर महतो से दिनांक 19.09.2021 को 02 धुर जमीन व्यवसायिक श्रेणी में निबंधित करवाया। उसके बाद दिनांक 24.03.2021 को वादी ने उसी खेसरा की 12 धुर तेरह कनवा जमीन आवासीय श्रेणी में निबंधित करवायी। इसके बाद एक शिकायतकर्ता श्री मोहन प्रसाद श्रीवास्तव के शिकायत पर प्रश्नगत भूमि की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, रक्सौल से करवायी गयी। जाँच के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज को 47 A में सहायक निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष हस्तांतरित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक के समक्ष वादी उपस्थित होकर पुनः जाँच की मांग की। वादी के अनुरोध पर प्रश्नगत भूमि की जाँच अवर निबंधक, रक्सौल से करायी गयी। अवर निबंधक, रक्सौल ने जाँच कर अपने पत्रांक 88 दिनांक 14.02.2023 से प्रतिवेदित किये कि "स्थल जाँच क्रेता श्रीमती गायत्री देवी के पति-श्री आत्माराम प्रसाद एवं अन्य उपस्थित लोगों के समक्ष भवदीय की उपस्थिति में संयुक्त रूप से किया गया। स्थल जाँचोंपरांत दस्तावेज में अंकित खेसरा सं०-1626 मौजा-रक्सौल मेन रोड कोईरिया टोला वार्ड नं०-24 मोहल्ला नहर चौक सोना सिनेमा से डॉ० अवधेश गिरी के क्लिनिक तक एन०एच० रोड से पश्चिम एन०एच० के किनारे व्यवसायिक श्रेणी में पाया गया जहाँ एन०एच० किनारे व्यवसायिक गतिविधि संचालित है। लेख्यधारी के पति श्री आत्माराम प्रसाद द्वारा पूर्व में भी दस्तावेज सं०-2175/2021 द्वारा इसी खेसरा के अंश का निबंधन एन०एच० व्यवसायिक श्रेणी में कराया गया है।" जिससे स्पष्ट है कि वादी

के अनुरोध पर प्रश्नगत भूमि की दुबारा जाँच हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 19.03.2021 को वादी के पति द्वारा खेसरा सं०-1626 के अंश भाग का व्यवसायिक श्रेणी में निबंधन कराना एवं उसके मात्र एक सप्ताह बाद ही बचे हुए अंश भाग 12 धूर 13 कनवा का वादी के नाम से निबंधन करवाना स्पष्ट करता है कि वादी द्वारा जान बूझकर राजस्व की क्षती करने का प्रयास किया है। राजस्व चोरी की मंशा इस बात से भी परिलक्षित होती है कि वादी ने दिनांक 24.03.2021 को जो भूमि क्रय की है उसके चौहद्दी के किसी भाग में कोई सड़क तक नहीं दर्शाया है जबकि इस न्यायालय में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि शाखा सड़क से जुड़ी हुई है। इस प्रकार कुल 14 धूर 13 कनवा भूमि का सर्वप्रथम 02 धूर व्यवसायिक श्रेणी में क्रय करना एवं उसके मात्र एक सप्ताह के बाद शेष बचे हुए जमीन का आवासीय श्रेणी में क्रय करना अर्थात् लगभग 06 गुणा रकवा का राजस्व क्षति पहुँचाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है कि राजस्व की चोरी की नियत से वादी के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। यह राजस्व चोरी का एक Modus Operandi है, जिसमें गलत तथ्य प्रस्तुत कर एक ही परिवार के लोग (पति-पत्नी) राजस्व चोरी हेतु एक ही भू-खंड को दो भागों में (अधिक मुद्रांक वाले भाग को छोटे रकवे में एवं कम मुद्रांक वाले भाग को बड़े रकवे में) बांटकर तथा वास्तविक श्रेणी छुपाकर निबंधन कराते है। जिसके लिए निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को कमी मुद्रांक की राशि एवं उस पर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश पारित किया है जो बिल्कुल न्यायोचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद

	<p>अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	
	आयुक्त	आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL